प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली दक्षिण

तीसरा तल, ईआईएल अन्नेक्सी बिल्डिंग, प्लाट संख्या 2 बी, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066

फा.सं. IV(16) मु./तकनीकी/टीन/06/सीजीएसटी/2017 दिनांक: 17.04.2018

व्यापार सूचना संख्या 01 /जीएसटी/2018-19

विषय:- यू आई एन एजेंसिओं के लिए रिफण्ड आवेदनों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न.

यू आई एन एजेंसिओं के लिए रिफंड आवेदनों के प्रसंस्करण के सम्बन्ध में सम्बंधित प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यापार / उद्योग संघो का ध्यान बोर्ड / परिपत्र संख्या 43/17/2018 – जीएसटी दिनांक 13.04.2018 की ओर आकर्षित किया जाता है .

बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 36/10/2017 दिनांक13.03.2018 द्वारा यूआईएन रिफंड का विस्तृत प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया है एवं निर्दिष्ट किया है . यह परिपत्र जारी होने के पश्चातजिन एजेंसिओं के यू आई एन निर्धारित कर दी गए हैं उनके रिफंड के प्रक्रमण के सम्बन्ध में कई प्रश्न एवं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं . कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए और क्षेत्रियों संगठनों में कानून के प्रावधानों का कार्यान्वयन की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम,2017(इसके बाद "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संबोधित)की धारा 168द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण देता है :

2. रिफंड आवेदन प्रस्तुत करते हुए बिलों के विवरण उपलब्ध करना:

2.1 रिफंड आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली,2017 (इसके बाद सीजीएसटी नियमावली के रूप में संबोधित) के नियम 95 के अंतर्गत उल्लिखित है जिसमें बताया गया है कि फॉर्म जीएसटीआर -11 में आगतबिलोंके विवरण सहित फॉर्म आरएफडी –10 में रिफंड तिमाही आधार पर फाइल किया जाना है. यह बोर्ड के ध्यान में आया है की सिस्टम से उत्पन्न फॉर्म जीएसटीआर -11के प्रिंट वर्ज़न में बिल विवरण नहीं हैं . अतः यह स्पष्ट कियाजाता है की जब तक सिस्टम से उत्पन्न फॉर्म जीएसटी'आर -11 में जब तक बिलों के विवरण उपलब्ध नहीं हो जाते, यूआईएन एजेंसिओं से अनुरोध है की वे रिफंड आवेदन के साथ उन सभी बिलों केविवरण भी हस्तचालित रूप में प्रस्तुत करें जिनपर रिफंड दावा किया गया है.

2.2 आगे, अधिकारीयोंको भी यह बताया जाता है की वे बिलों के मूल प्रति या हार्ड प्रति न मांगे, जबतक की आवश्यकन हो.

3. **बिलों पर यूआईएन का उल्लेख न होना**

3.1 यह अभ्यावेदित किया गया है की कई आपूर्तिकर्ताओं ने यूआईएन एजेंसिओं को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के पश्चात बिलों पर यूआईएनका उल्लेख नहीं किया है. यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है की सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 46 के अंतर्गत बिलों पर यूआइएन का उल्लेख एक आवश्यक शर्त है . यदि,आपूर्तिकर्ता/ विक्रेता यूआइएन का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, तो वे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गतउनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है.

3.2 आगे, ऐसे मामलों मेंजहाँ जुलाई – सितम्बर2017, अक्टूबर – दिसम्बर 2017 एवं जनवरी– मार्च2018 की तिमाहियों से सम्बंधित रिफंड दावों से सम्बंधित बिलों में यू आई एन उल्लेखित नहीं किए गए हों, तो सरकार द्वारा एक बार छूट दी जाती है, इस शर्त के साथ कि ऐसे बिलों की प्रतियाँ क्षेत्राधिकारी अधिकारीयों को प्रस्तुत की जायेंगी एवं यू आई एन एजेंसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा . क्षेत्रीय अधिकारीयों को बताया जाता है किअधिसूचना संख्या 16/2017- केन्द्रीयकर (दर) दिनांक28.06.2017 एवं एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम,2017 के अंतर्गत समरूपी अधिसूचनाओं के अनुसरण में संघशासित माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 एवंविशिष्ट माल एवं सेवाकर अधिनियमोंके प्रावधानों को ऐसे रिफंड दावों के प्रक्रमण के पूर्व संतुष्ट कर लिया जाना चाहिए .

सभी व्यापार संगठनों / वाणिज्य एवं उद्योग मंडल से यह अनुरोध किया जाता है की वे इस व्यापार सूचना को अपनेसदस्योंमें व्यापक प्रचार – प्रसार करें .

प्राणेश पाठक
17/04/2018

(प्राणेश पाठक)

आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर,

दिल्ली दक्षिण

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, राज्य माल एवं सेवाकर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन , आईपी एस्टेट, नई' दिल्ली – 110002
2. विशेष आयुक्त – 1, राज्य माल एवं सेवाकर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन , लोधी रोड आईपी एस्टेट, नई' दिल्ली –110002
3. विदेश मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरु भवन, 23 डी, जनपथ, राजपथएरिया, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली – 110011. यह अनुरोध किया जाता है की कृपया इसे सभी यूआईएन अजेंसिओं को अग्रेषित कर दिया जाए

4. व्यापार संगठन (डाक सूची के अनुसार)
5. दक्षिणी दिल्ली व्यापार संगठन, नई दिल्ली, डब्लू 14, कालकाजीबस डिपो के सामने, माँ आनंदमयी मार्ग, गोविन्दपुरी, नई दिल्ली –110016
6. पीएचडी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली , नंबर4/2, सीरीइंस्टीट्युशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली –110016
7. फिक्की, 1, फेडरेशन हाउस,नई दिल्ली, तानसेन मार्ग, तोडरमल रोड एरिया, नई दिल्ली –110001
8. कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली –110023, मंतोष सोंधी सेण्टर, इंस्टीट्युशनल एरिया,लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
9. एसोचम, नई दिल्ली, 5,सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपूरी, नई दिल्ली –110021
10. नैसकॉम, पंडित उमाशंकर दीक्षित मार्ग, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, चाणक्यपूरी, नई दिल्ली –110011
11. फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली, निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने, नईदिल्ली-110057
12. सदस्य, जीएसटी, सीबीईसी, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
13. महानिदेशक, कर सेवा प्रदातामहानिदेशालय, सीआर बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
14. आयुक्त, सीजीएसटी, दिल्ली दक्षिण
15. सिस्टमएवंडाटा प्रबंधन महानिदेशालय, होटल सम्राट, चाणक्यपूरी, नई दिल्ली –110021
16. सहायक / उप आयुक्त, जीएसटी , दिल्ली – दक्षिण, मंडलकनाट प्लेस, नारायणा, हौज़ खास, मालवीय नगर, वसंत कुन्ज , छतरपुर, ओखला, द्वारका, पालम
17. सिस्टम शाखा, कार्यालयीन वेबसाइट मेनेजर पब्लिकेशन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
18. नोटिस बोर्ड
19. गार्ड फाइल

प्राणेश पाठक
17/04/2018

(प्राणेश पाठक)

आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर,

दिल्ली दक्षिण